बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(सांस्कृतिक कार्य निदेशालय)

विज्ञापन

कलाकार कल्याण कोष से कलाकारों को वित्तीय सहायता हेतु प्रावधान

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सांस्कृतिक कार्य निदेशालय में राज्य के कलाकारों की सहायता के लिए एक कल्याणकारी योजना **कलाकार कल्याण कोष** का प्रावधान है। इस योजना के तहत् बिहार राज्य के कलाकारों के लिए निम्न प्रावधान है।

(क) चिकित्सा/इलाज हेतु सहायता अनुदानः–

1. बीमार अथवा घायल होने के संबंध में चिकित्सा प्रमाण–पत्र/ गंभीर रोग से ग्रसित कलाकार, जिन्हें शल्य चिकित्सा होना है अथवा जिसका ऑपरेशन हो चुका है, का प्राक्कलन सरकारी अस्पताल अथवा सी.जी.एच.एस. से अनुमोदित अस्पताल का प्राक्कलन, प्रमाण–पत्र एवं अन्य साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त कलाकार को संबंधित मुखिया का प्रमाण–पत्र देना होगा।

(ख) प्रदर्श कला के क्षेत्र में सहायता अनुदानः–

1. अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय महत्व के कार्यकम में आमंत्रण पर शिरकत करने हेतु प्रस्तुति के विभन्न अवसरों के लिए सहायता दी जा सकती है। आमंत्रण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में राष्ट्रीय नाट्य एकेडमी या समकक्ष कथक केन्द्र/कलाक्षेत्र जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में नामांकित होनेवाले राज्य के कलाकारों को उच्च अध्ययन/शोध हेतु एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जा सकती है। आमंत्रण का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. राज्य से बाहर कला प्रदर्शन हेतु आर्थिक सहायता राज्य के बाहर प्रदर्शन का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ग) चाक्षुष कला के क्षेत्र में सहायता अनुदानः–

1) अंतर्राष्ट्रीय,राष्ट्रीय महत्व की कला प्रदर्शनियों मे आमंत्रण पर शिरकत करने हेतु फीस/प्रदर्शनियों की तैयारी, मार्ग व्यय आदि के रूप में आर्थिक सहायता दी जा सकती है। आमंत्रण का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।

2) देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में मास्टर्स डिग्री/शोध कार्य हेतु प्रतिभाशाली कलाकारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जा सकती है। शोध एवं अध्ययन से संबंधित महाविद्यालय का प्रमाण एवं व्यय का प्राक्कलन, संस्थान प्रमुख का अनिवार्य है।

3) राज्य से बाहर महत्वपूर्ण कला दीर्घाओं, आधुनिक कला संग्रहालयों में कला प्रदर्शनी हेतु आर्थिक सहायता। कला दिर्घा के आरक्षण का प्रमाण एवं प्राक्कलन संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1. कलाकार को आवेदन विहित प्रपत्र में (सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में) अपना नाम, फोटोग्राफ, पिता का नाम, पता, दूरभाष सं0, कलाकार की उपलब्धि (प्रमाण–पत्र एवं अन्य उपलब्धियों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है) साथ ही आवेदन पत्र के अंत में अपना हस्ताक्षर तिथि के साथ अंकित करना चाहिए।
2. आवेदक आवेदन पत्र में वर्तमान पत्राचार पता और दूरभाष सं0 यदि हो,अंकित करें ताकि बैठक के पूर्व उन्हें सूचना दी जा सके। आवश्यकता होने पर आवेदक को समिति के समक्ष ससमय उपस्थित होना पड़ सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय सरकार द्वारा आवेदक को देय नहीं होगा।
3. सहायता अनुदान की स्वीकृति, गठित अनुदान समिति द्वारा दी जायेगी। अनुदान की राशि तय करना अनुदान समिति का क्षेत्राधिकार है। समिति का निर्णय अंतिम होगा।
4. उदयीमान कलाकार, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में हैं और जिनकी मासिक आय ₹ 5,000/– से कम है, को चिकित्सा के अतिरिक्त उपस्कर, वाद्य यंत्र, कला सामग्री के क्रय हेतु समिति की अनुशंसा पर वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
5. सरकारी कर्मी को कलाकार कल्याण कोष का लाभ देय नहीं होगा। आवेदकों को कोष से राशि की स्वीकृति उनका अधिकार नहीं मानी जायेगी।
6. वैसे कलाकार अनुदान के पात्र होंगे, जिनकी आय 30,000/– रु0 मासिक से ज्यादा नहीं हो। तत्सम्बन्धी आय प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. बिहार राज्य कलाकार कल्याण कोष से सहायता हेतु आवेदन–पत्र निम्न विहित प्रपत्र में देय होगा (आवेदन पत्र पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी/चिकित्सक के द्वारा सत्यापन कराकर दिये जाने से जांच में सुविधा/शीघ्रता होगी)।
8. कलाकार कल्याण कोष से चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन के साथ सरकारी अस्पताल/अर्द्ध सरकारी अथवा सी.जी.एच.एस. से अनुमोदित अस्पताल का प्राक्कलन (स्टीमेट) संलग्न करना अनिवार्य है।

9. अनुदान हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, नया सचिवालय, विकास भवन, तीसरी मंजिल, पटना–800015 के पते पर वर्षपर्यन्त भेजा जा सकता है। प्राप्त आवेदनों पर आवश्यकतानुसार समय–समय पर समिति की बैठक में निर्णय लिये जायेंगे।

10. उपर्युक्त अंकित, क, ख एवं ग' में वित्तीय सहायता हेतु आवेदन को विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ अद्यतन आय प्रमाण पत्र संलग्न करना है।

–:विहित प्रपत्रः–

1. आवेदक का नाम :–
   (साफ अक्षरों में)
2. पिता का नाम :–
3. पूरा डाक पता :–
4. स्थायी पता
5. जन्म तिथि :–
   (दस्तावेज सबूत सहित)
6. वर्तमान व्यवसाय/नियोक्ता के नाम एवं पूरा पता :–
7. कलाकार/विधा, जिसमें भाग लिया था/है :–
8. कलाकार परिणाम/उपलब्धियाँ (अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ):–

कलाकार/विधा	वर्ष	स्थान	उत्सव/महोत्सव का नाम	प्राप्त स्थान	अभियुक्ति

कृपया सभी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में राज्य का प्रतिनिधित्व करने से सम्बंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें।

9. परिस्थितियाँ एवं उद्देश्य जिसके लिए वित्तीय सहायता अपेक्षित है
10. अपेक्षित वित्तीय सहायता की राशि।
11. आवेदक का सभी स्रोतों से वार्षिक आय :–
12. अन्य स्रोतों से यदि इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता ली गयी हो, तो सहायता राशि सहित ब्योरा अपेक्षित है।
13. अन्य कोई संबंधित सूचना

दिनांक :– आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

स्थान :– नामः–